मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०२४

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२४ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) में सर्वत्र, शब्द ''कुलपति'', जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द ''कुलगुरू'' स्थापित किया जाए. **सर्वत्र मूल अधिनियम** में शब्द का स्थापन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की १००वीं बैठक में ''कुलपति'' के पदनाम को ''कुलगुरू'' में परिवर्तित किए जाने की अनुशंसा की गई. इसी अनुक्रम में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) के हिन्दी संस्करण में पदनाम ''कुलपति'' के स्थान पर पदनाम ''कुलगुरू'' स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

इंदर सिंह परमार
भारसाधक सदस्य.

तारीख १ जुलाई, २०२४